दूरभाष : 01472–251301
E-mail: girlscollegecor@gmail.com

राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय

NAACAccredited ‘B’ Grade

चित्तौड़गढ़ –312001 (राज.)

विवरणिका

2023–24

(मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर से सम्बद्ध)

डॉ.ममता शर्मा
M. 9414735076
कार्यवाहक प्राचार्य

डॉ.सी.एल.महावर
M. 9314159673
सम्पादक

प्रो. वर्षा सिखवाल
M. 9079274224
नोडल ऑफिसर ऑन लाइन प्रवेश
E-mail ID – varshasikhwal1992@gmail.com

दूरभाष एवं फैक्स – 01472–251301

यद्धपि इस विवरणिका में सभी आदेशों/नियमों/सूचनाओं को प्रकाशित करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है फिर भी विसंगति होने पर मूलआदेशों/नियमों/सूचनाओं को ही अधिकृत माना जायेगा। प्रतिदिन सूचना पट्ट देखना छात्रा का कर्त्तव्य होगा।

राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय

NAAC Accredited 'B' Grade

चित्तौड़गढ़ –312001 (राज.)

विवरणिका

2023–24

महाविद्यालय : एक परिचय

आन–बान–शान की नगरी चित्तौड़गढ़ की पावन धरा पर स्थित जिले का यह एक मात्र राजकीय कन्या महाविद्यालय है। इसकी स्थापना जुलाई 1995 में हुई थी। इस संस्था में वर्तमान में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में छात्राएँ अध्ययनरत हैं। इस संस्था का मुख्य ध्येय उच्च कोटि की भारतीय परम्पराओं के अनुरूप संस्कार जन्य सामाजिक एवं गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना है। विद्वत्त एवं समर्पित शिक्षकों के अथक प्रयासों, प्रबुद्ध नागरिकों के सहयोग एवं छात्राओं के परिश्रम तथा अनुशासन से यह महाविद्यालय उन्नति के नित नवीन शिखर छूने के लिए तत्पर है। हमारा उद्देश्य अध्ययनरत छात्राओं को उच्च स्तरीय शिक्षा के श्रेष्ठ अवसर प्रदान कर उनकी बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक जैसी बहुआयामी क्षमताओं को नवीन सोपान देने का रहा है।

समृद्ध पुस्तकालय, वाचनालय, विज्ञान प्रयोगशालाएँ, हरित उद्यान, सुन्दर परिसर और छात्रावास, महाविद्यालय की उत्तरोत्तर उन्नति को अभिव्यक्त करते हैं। इस महाविद्यालय के अच्छे शैक्षिक वातावरण के कारण क्रमशः विगत वर्षों में छात्राओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इस विकासोन्मुख महाविद्यालय के कीर्तिमान स्थापित करने में छात्राओं का भी योगदान रहा है, चाहे वह सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रतियोगिताएँ हो या खेलकूद का मैदान या अकादमिक क्षेत्र।

इस कन्या महाविद्यालय की गरिमा एवं स्वच्छता बनाए रखने में आपका अनुशासनात्मक श्रेष्ठ आचरण एवं सद्व्यहार बहुत मायने रखता है। सम्पूर्ण जिले में इस महाविद्यालय की अपनी एक अच्छी पहचान है, आशा है आप इसे बनाये रखेंगी।

....

प्राचार्य की कलम से ....

नवीन सत्र में आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत। नारी शिक्षा में ही राष्ट्र, समाज एवं परिवार की शक्ति,समृद्धि, सुरक्षा एवं सुदृढ़ता निहित है। शिक्षा व्यक्ति का संर्वागीण विकास करती है आप उन सौभाग्यशाली छात्राओं में सम्मिलित है जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है।

वर्तमान भू–वैश्विकरण के प्रतिस्पर्धी युग में ज्ञान, अर्न्तदृष्टी, कड़ी मेहनत, ईमानदारी, जोश, लगन जैसे गुण महिलाओं में आवश्यक है तभी वे राष्ट्र, समाज एवं परिवार में अपनी भूमिका का सही निर्वह्न कर सकेंगी।

वर्तमान परिपेक्ष्य में ग्लोबल सोसाईटी, कम्युनिकेशन सोसाईटी एवं इन्टरनेट सोसाईटी की अवधारणा में परम्परागत शिक्षा के साथ साथ नवीन तकनीक एवं सूचना प्रोद्योगिकी ने समग्र जीवन का ही रूपांतरण कर दिया है।

आशा है महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आप कुशलतम एवं अधिकतम उपयोग कर अपना बेहतर जीवन निर्माण में तत्पर होगी।

प्राचार्य

छात्राओं के लिए मार्गदर्शन

1. खाली कालांशों में छात्राएं इधर–उधर तथा बरामदे में घूमने के स्थान पर पुस्तकालय एवं वाचनालय का सदुपयोग करें।

2. महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सभी छात्राओं से उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है। विभिन्न कार्यक्रमों में शान्ति व अनुशासन बनाए रखना छात्राओं का कर्त्तव्य है।

3. छात्राएं बिना बताये अपने स्तर पर महाविद्यालय समय में कहीं भी जाती हैं तो, महाविद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

4. राजकीय अध्यादेश के अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षा में नकल करना कानूनी अपराध घोषित है, जिसके तहत रू. 2000/–(दो हजार रूपये मात्र) जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों दण्ड दिये जाने का प्रावधान है।

5. आप महाविद्यालय के सूचना पट्ट से समय–सारिणी देखकर दिनांक 1 जुलाई से अपनी कक्षाओं में उपस्थित हों।

6. छात्राओं के लिये पुस्तकालय एवं वाचनालय सुविधा प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 से सायं 3.00 बजे तक या महाविद्यालय समयानुसार उपलब्ध रहेंगी।

7. इस संस्था में जब अध्ययन का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो जाता है तो महाविद्यालय के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। यह महाविद्यालय अब आपका अपना है। इसके गौरव एवं मर्यादा को बनाये रखना आपका पुनीत दायित्व है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि, नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में जायें तथा अध्ययन को महत्व दें।

8. महाविद्यालय का उद्देश्य आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण निर्माण एवं विकास करना है। संभाषण, वाद–विवाद, ललित कलाओं का अभ्यास, राष्ट्रीय सेवा योजना, खेलकूद और विभिन्न पाठ्येत्तर गतिविधियों में अधिकाधिक भाग लें एवं अपनी सक्रिय और सार्थक सहभागिता से अपने बहुआयामी व्यक्तित्व का विकास करे तभी महाविद्यालय में आप के प्रवेश और अध्ययन की सार्थकता है।

9. अनिवार्य उपस्थिति नियम के तहत उसी छात्रा को विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जावेगी, जिसकी प्रत्येक विषय में 75% उपस्थिति होगी।

10. महाविद्यालय परिसर में अपना परिचय–पत्र सदा अपने पास रखें। यही आपके नियमित विद्यार्थी होने की प्रामाणिक पहचान है। प्रवेश के समय या पुस्तकालय से पुस्तक लेते समय अथवा पहचान प्रमाणित करने हेतु इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है।

11. महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का कोलाहल या शोरगुल करना आपकी गरिमा एवं शालीनता के विरूद्ध है। महाविद्यालय ज्ञान–साधना का पुनीत मन्दिर है। किसी भी रूप में इसकी शान्ति एवं मर्यादा को भंग न करें, न करने दें।

12. महाविद्यालय का सूचना पट्ट महाविद्यालय एवं आपके मध्य सम्पर्क का माध्यम है। अतः प्रतिदिन इस पर लगी सूचनाओं को देखना छात्राओं का दायित्व है। सूचना पट्ट पर सूचना लगाना छात्राओं को सूचना हुई मानी जायेगी।

13. महाविद्यालय के अधिकारियों,व्याख्याताओं एवं समस्त कर्मचारियों के प्रति आपका व्यवहार आदर सूचक होना चाहिए। उनका अभिवादन करना भारतीय संस्कृति का अंग है तथा आपकी शालीनता का द्योतक भी है। अपने सहपाठियों के प्रति भद्रता और सौजन्य का बर्ताव रखें। इससे आप उनका स्नेह–सहयोग सहज ही पाती रहेंगी।

14. मूल प्रमाण–पत्र आदि जो भी दस्तावेज आप कभी महाविद्यालय को सौंपे तो उसकी प्रमाणित (या फोटो कॉपी) पर्याप्त संख्या में अपने पास रखें, इनकी आवश्यकता भविष्य में कभी भी पड़ सकती है। प्रवेश आवेदन पत्र से कोई प्रतिलिपि बाद में देय नहीं होगी।

15. महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर लेखाशाखा में शुल्क अदायगी की रसीद या अन्य अदायगियों की रसीद संभालकर रखें क्योंकि इनकी बाद में जरूरत पड़ सकती है – जैसे परिचय पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड बनवाने, कक्षा में उपस्थिति पंजिका में अपना नाम दर्ज कराने, विषय परिवर्तन या प्रश्न–पत्र विकल्प बदलने आदि में।

16. स्थानीय डाक पते तथा टेलीफोन नम्बर में परिवर्तन होने पर स्थानीय संरक्षक से प्रमाणित कराकर नई सूचनाएं महाविद्यालय को अवश्य उपलब्ध कराना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

17. अध्ययन काल में यदि आप कोई नौकरी या व्यवसाय करने लगे हों तो पूरी जानकारी महाविद्यालय को यथा समय देते रहें।

18. महाविद्यालय के प्रकाशनों में समय–समय पर अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कर अपनी रचनात्मक प्रतिभा को पल्लवित करें।

19. यदि आप किसी वाहन द्वारा महाविद्यालय में आते हैं तो उसे निर्धारित स्टेण्ड पर ही रखें। महाविद्यालय परिसर में निर्धारित स्थान के अलावा इधर उधर वाहन खड़े करना दण्डनीय है।

20. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ और सुन्दर बनाये रखने में सहयोग अपेक्षित है। इस कार्य में रूचि लें। कागज एवं कचरा इत्यादि कहीं भी फेंककर गन्दगी न फैलाएँ। दीवारों पर इश्तहार आदि न चिपकाएँ और न ही लिखें। महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का नशा और धूम्रपान वैधानिक अपराध है। दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जावेगा।

21. महाविद्यालय परिसर में आप या आपके सहयोग द्वारा किये गये अवांछनीय कार्य से यदि राजकीय संपत्ति को कोई नुकसान हुआ तो आप महाविद्यालय द्वारा दण्डित किये जायेंगे जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन भी शामिल है।

22. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये अप्रैल 1999 के आदेशानुसार विद्यार्थी उत्पीड़न (रैगिंग) एक गम्भीर अपराध है। इससे प्रताड़ित अथवा दोषी छात्रा के किसी प्रयास/घटना की जानकारी मिले तो तुरन्त प्राचार्य/उपाचार्य या किसी भी प्राध्यापक को सूचित करें।

23. नवीन सत्र की वि.वि. परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पुस्तकालय में उपलब्ध रहते हैं, इसका लाभ उठायें।

24. कोई भी नियमित छात्रा अपने साथ अन्य छात्रों को महाविद्यालय परिसर में न लावें।

25. प्रवेश के उपरान्त विश्वविद्यालय नामांकन होने के पश्चात् ही प्रवेश नियमित माना जावेगा।

महत्त्वपूर्ण निर्देश

1. प्रवेश फार्म की पूर्ति करने से पहले विवरणिका में प्रकाशित नियमों की जानकारी कर लेना परम आवश्यक है।

2. जो आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नहीं होंगे, उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. प्रवेश फार्म को ध्यानपूर्वक भरें, सभी प्रकार की अशुद्धियों का उत्तरदायित्व छात्रा का होगा।

4. आवश्यक होने पर पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र 2/– रूपये शुल्क के साथ कार्यालय में पंजीकृत किये जायेंगे।

5. प्रवेश फार्म में छात्रा वही नाम लिखेगी जो बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र में लिखा हो। अंग्रेजी के नाम की स्पेलिंग भी वही होगी।

6. नवीन प्रवेश (प्रथम वर्ष) लेने वाली छात्राओं को अपने प्रवेश फार्म के साथ, वांछित प्रमाण–पत्र संलग्न करने आवश्यक है।

7. विवरणिका में उल्लेखित किसी भी नियम की परिभाषा एवं व्याख्या में प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।

8. अभिभावकों से अपेक्षित है कि, वे छात्रा के फार्म पर हस्ताक्षर करने से पूर्व विवरणिका तथा फार्म का अध्ययन अवश्य कर लें।

9. प्रत्येक छात्रा प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रतिदिन महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर लगी नवीनतम सूचनाओं की जानकारी व्यक्तिशः आवश्यक रूप से प्राप्त करें अन्यथा किसी कारण से प्रवेश लेने अथवा किसी लाभ को प्राप्त करने से वंचित रहते की जिम्मेदारी स्वयं छात्रा की होगी। महाविद्यालय की वेबसाइट नवीनतम जानकारी हेतु नियमित रूप से देखें।

विशेष :

1. समस्त छात्राओं को स्पष्ट किया जाता है कि, उनके द्वारा शुल्क जमा कराने का तात्पर्य सम्बन्धित कक्षा में प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है। कक्षा में रिक्त स्थान होने एवं वरीयता क्रम में आने पर ही अस्थायी (प्रोविजनल) प्रवेश दिया जा सकेगा अन्यथा उनका शुल्क (फीस) वापिस कर दिया जायेगा।
2. इस विवरणिका में प्रकाशित नियम तथा आवश्यक सूचनाएं राज्य सरकार तथा प्राचार्य के आदेशों से परिवर्तनीय है। अतः प्रवेशार्थी का कर्त्तव्य है कि, वह महाविद्यालय के सूचना पट्ट को नियमित रूप से देखें एवं कार्यालय से सम्पर्क बनायें रखे। परिवर्तित नये नियमों की जानकारी प्राप्त करने का दायित्व स्वयं छात्रा पर है।

शैक्षणिक सूचनाएं

विभिन्न पाठ्यक्रम :

महाविद्यालय में अध्ययन कला, वाणिज्य एवं विज्ञान की स्नातक स्तर की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में पाठ्यक्रम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। विश्वविद्यालय से अगर पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन होगा तो समय पर सूचित कर दिया जायेगा।

बी.ए.प्रथम वर्ष :

अनिवार्य विषय :

1. सामान्य अंग्रेजी
2. पर्यावरण अध्ययन (क्रेडिट कोर्स)

वैकल्पिक / ऐच्छिक विषय

प्रथम वर्ष कला में वैकल्पिक / ऐच्छिक विषय निम्नानुसार है :

प्रथम समूह	:	संस्कृत (100 सीट) / गृह विज्ञान (100 सीट)
द्वितीय समूह	:	इतिहास (100सीट)
तृतीय समूह	:	राजनीति विज्ञान (100 सीट)
चतुर्थ समूह	:	दर्शनशास्त्र (100 सीट)
पंचम समूह	:	हिन्दी साहित्य (100 सीट)

तीन वैकल्पिक विषयो का चुनाव करना है ;
प्रत्येक समूह में से छात्रा को एक विषय का चयन करना है।

बी.ए.द्वितीय वर्ष :

अनिवार्य विषय :

1. एलीमेंट्री कम्प्यूटर
2. सामान्य हिन्दी

द्वितीय एवं तृतीय वर्ष कला :

ऐच्छिक विषय :

द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में छात्रा को प्रथम वर्ष कला में लिये गये, ऐच्छिक विषयों का अध्ययन करना होगा। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में छात्राओं को प्रवेश, महाविद्यालय में उपलब्ध विषय–समूह एवं स्वीकृत विषयवार वर्ग (सेक्शन) तक सीमित होगा।

एम.ए.पूर्वार्द्ध / उतरार्द्ध – हिन्दी – (40 सीट)
एम.ए.पूर्वार्द्ध / उतरार्द्ध – इतिहास – (40 सीट)

बी.कॉम.प्रथम वर्ष : (100 सीट)

अनिवार्य विषय :

1. सामान्य अंग्रेजी
2. पर्यावरण अध्ययन (क्रेडिट कोर्स)

वैकल्पिक / ऐच्छिक विषय

1. लेखा एवं सांख्यिकी (A.B.S.T.)
2. व्यवसाय प्रशासन (B. Adm.)
3. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध (E.A.F.M.)

बी.कॉम.द्वितीय वर्ष :

अनिवार्य विषय :

1. एलीमेंट्री कम्प्यूटर
2. सामान्य हिन्दी

द्वितीय एवं तृतीय वर्ष वाणिज्य

ऐच्छिक विषय :

द्वितीय एवं तृतीय वर्ष वाणिज्य की छात्रा को प्रथम वर्ष वाणिज्य में लिये गये, ऐच्छिक विषयों का अध्ययन करना होगा।

बी.एससी.प्रथम वर्ष : (88 सीट)

अनिवार्य विषय :

1. सामान्य अंग्रेजी
2. पर्यावरण अध्ययन (क्रेडिट कोर्स)

वैकल्पिक / ऐच्छिक विषय

गणित वर्ग	**जीव विज्ञान वर्ग**
1) गणित	1) वनस्पति विज्ञान
2) भौतिक विज्ञान	2) प्राणि विज्ञान
3) रसायन विज्ञान	3) रसायन विज्ञान

बी.एससी.द्वितीय वर्ष :

अनिवार्य विषय :

1. एलीमेंट्री कम्प्यूटर
2. सामान्य हिन्दी

द्वितीय एवं तृतीय वर्ष विज्ञान :

ऐच्छिक विषय :

द्वितीय एवं तृतीय वर्ष विज्ञान की छात्रा को प्रथम वर्ष विज्ञान में लिये गये, ऐच्छिक विषयों का अध्ययन करना होगा।

आवश्यक नोट :

1. **नवीन प्रवेशार्थी को मूल प्रमाण–पत्रों सहित साक्षात्कार के लिये प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होना होगा।**

2. **विषयों का चयन उपर्युक्त समूह के अनुसार ही किया जाये। प्रवेश के पश्चात् जो छात्रा विषय परिवर्तन करना चाहे, उसे प्राचार्य की अनुमति लेनी होगी। विषय परिवर्तन वांछित विषय में स्थान उपलब्ध होने पर ही किया जायेगा। विषय परिवर्तन की अनुमति घोषित तारीख के पश्चात् किसी भी छात्रा को नहीं दी जा सकेगी।**

3. महाविद्यालय में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय,उदयपुर के पाठ्क्रम के अनुसार अध्ययन किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम में समय–समय पर किये जाने वाले परिवर्तनों की जानकारी छात्राएं स्वयं प्राप्त करें। उसी अनुसार परीक्षा फार्म में प्रश्न पत्र अंकित करें एवं अध्ययन करें।

उपस्थिति सम्बन्धी नियम

1. प्रत्येक छात्रा की उपस्थिति सत्रारंभ से नियमित रूप से अंकित की जायेगी। **75% उपस्थिति अनिवार्य है।** विषयानुसार सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति में कमी होने पर छात्रा नियमित छात्रा के रूप में वि.वि. परीक्षा से वंचित हो जायेगी, जिसका दायित्व महाविद्यालय पर नहीं होगा।

2. प्रत्येक छात्रा विश्वविद्यालय के वर्तमान उपस्थिति सम्बन्धी नियमों एवं उनमें समय–समय पर किये गये रूपान्तरणों एवं परिवर्तनों से आबद्ध होगी।

3. वे छात्राएं जिन्हें महाविद्यालय की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, खेलकूद, सांस्कृतिक व साहित्यिक प्रतियोगिताओं में अपने महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने भेजा जाता है, उन्हें उन दिनों की उपस्थिति, अन्य छात्रा की भांति ही दी जायेगी, किन्तु इस हेतु उन्हें उतने ही दिन की उपस्थिति मिलेगी, जितने दिन विषय विशेष की कक्षाएं वास्तव में हुई होंगी। छुट्टियां एवं अन्य अवकाश के दिनों में आयोजित गतिविधियों के लिए उपस्थिति में छूट नहीं दी जायेगी।

4. सत्र के मध्य में किसी अन्य महाविद्यालय से स्थानान्तरित होकर आने वाली छात्राओं को अपनी पूर्व उपस्थिति का अभिलेख साथ लाना होगा।

5. यदि कोई छात्रा कक्षा में उपस्थित होने में अत्याधिक अनियमितता व उपेक्षा दिखाती है तथा एक माह तक लगातार अनुपस्थित रहती है तो उसके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जावेगी।

6. जिन छात्राओं का परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित किया जाता है, उनकी उपस्थिति गणना प्रवेश तिथि से होगी।

प्रवेश सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देश

1. अपूर्ण अथवा निर्धारित तारीख के बाद आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. अन्तिम तिथि के पश्चात् कोई प्रवेश नहीं होगा।
3. जिन छात्राओं को पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना है, उनको सत्र के प्रारम्भ में ही प्रवेश की निर्धारित तारीख तक अगली कक्षा में प्रवेश ले लेना आवश्यक है।
4. प्रवेश प्रार्थना–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख होने आवश्यक हैं –

   संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (प्रवेश नीति/विरिणिका के अनुसार स्वयं द्वारा/राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित) –

क.सं.	प्रमाण पत्र	किन परिस्थितियों में संलग्न किया जाना है?	संलग्न किए जाने पर टिक मार्क लगाएं
1	सैकन्डरी परीक्षा की अंक तालिका	नवीन प्रवेश हेतु	
2	सैकन्डरी परीक्षा का प्रमाण पत्र	नवीन प्रवेश हेतु	
3	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र	अन्य संस्थान से स्थानान्तरण की स्थिति में	
4	चरित्र प्रमाण पत्र	अन्य संस्थान से स्थानान्तरण की स्थिति में	
5	अर्हकारी परीक्षा की अंक तालिका	सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु	
6	SC/ST/OBC/SBC/Saharia प्रमाण पत्र	इनमें से किसी श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु	
7	विकलांगता प्रमाण पत्र	इस श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु	
8	कश्मीरी विस्थापित प्रमाण पत्र	इस श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु	
9	बी.पी.एल.प्रमाण पत्र	शुल्क में रियायत प्राप्त करने हेतु	
10	आय प्रमाण पत्र	शुल्क में रियायत प्राप्त करने हेतु	
11	अभिभावक/संरक्षक का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र	अभिभावक/संरक्षक के स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने हेतु	
12	सेवारत अभ्यर्थियों का नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापित्त प्रमाण पत्र	सेवारत अभ्यर्थियो हेतु	
13	बोनस अंक संबन्धी प्रमाण पत्र (एनएसएस, एनसीसी, स्काउट/गाइड,रोवर/रेंजर, स्पोर्ट्स, सहशैक्षणिक गतिविधियां, शिक्षक अभ्यर्थी, मृत राज्य कर्मचारी/कॉलेज शिक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री, प्रतिरक्षा सेवा/केन्द्रीय सशस्त्र बल आदि)	बोनस अंक प्राप्त करने हेतु	

5. सभी नये प्रवेशार्थियों को प्रवेश की सूचना निर्धारित तिथि व स्थान पर महाविद्यालय सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी। प्रवेशार्थी को प्रवेश समिति के समक्ष निश्चित तिथि तक मूल प्रमाण–पत्रों के साथ उपस्थित होना होगा। ध्यान रहे कि समय पर मूल प्रमाण–पत्रों के सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में उन्हें प्रवेश से वंचित होना पड़ेगा।

6. जिन छात्राओं को प्रवेश दिया जाना है, उनके नाम महाविद्यालय के सूचना पट्ट एवं वेवसाइट पर निर्धारित तिथि तक वरीयतानुसार घोषित कर दिये जायेंगे। ऐसी छात्राओं को अपना शुल्क निर्धारित तिथि तक जमा कराना होगा अन्यथा उनका प्रवेश स्वतः रद्द हो जायेगा और योग्यता क्रम में आगे के विद्यार्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा।

7. प्रवेश हो जाने पर कार्यालय से अपना परिचय–पत्र, फीस, रसीद प्रस्तुत कर, प्राप्त कर लें। इन्हें महाविद्यालय में सदैव अपने साथ रखना होगा।

8. आवेदन–पत्र पर छात्रा के पिता/संरक्षक के सही हस्ताक्षर होने चाहिये तथा उनका सत्यापन होना चाहिये। प्रत्येक असत्य विवरण का उत्तरदायित्व छात्रा का होगा।

9. महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के बाद यदि किसी छात्रा का आचरण आपत्तिजनक पाया गया या उसने महाविद्यालय में अनुशासन भंग किया या प्रवेश आवेदन–पत्र में कोई असत्य सूचना पाई गई, महाविद्यालय नियमों का उल्लंघन किया, अपने पिता/संरक्षक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर कराये अथवा स्वयं ने हस्ताक्षर किये तो उसका यह कार्य अत्यन्त अवांछनीय होने के कारण दण्डनीय अपराध समझा जायेगा और उसका प्रवेश तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा।

10. सेवारत प्रार्थी अपने नियोक्ता अधिकारी का अनुमति पत्र संलग्न करें, अन्यथा प्रवेश अवैध समझा जायेगा, जिसके लिए प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

11. महाविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष की अवधि के भीतर कॉशनमनी वापस नहीं ली जाने की स्थिति में राजकीय कोष में जमा करा दी जायेगी।
12. प्रत्येक छात्रा को नियमित रूप से महाविद्यालय सूचना पट्ट देखना चाहिए अन्यथा कोई भी सूचना प्राप्त न होने का दायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।

शुल्क (फीस)

सत्र 2023–24 में महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली छात्राओं से निम्न प्रकार से शुल्क लिया जायेगा।

STRUCTURE OF FEE AT THE TIME OF ADMISSION IN DEGREE COURSES (SESSION 2023–24)

S.No.		Fee Type	General Girls	SC/ST/ OBC/SBC	Remarks
A. Government Fee					
1	1.01	Admission Fees	0	0	
	1.02	Tuition Fee (Income Tax Payer)	0	0	
	1.03	Tuition Fee (Non I. Tax Payer)	0	0	
	1.04	Lab Fees	0	0	
B. Elementary Computer Education Fee					
2	2.01	Computer Education	440	440	
C. Mahavidyalaya Vikas Samiti Fee					
3		**Mahavidyalay Vikas Samiti Fee (Total)**	**400**	**200**	
	3.01	Mahavidyalay Vikas samiti fee	400	200	
	3.02	Fees for any SFS Class/Subject	0	0	
D. Refundable Fee					
4	4.01	Caution Money	10	10	At first time admission
E. LOCAL FEE					
5		**Library Fee**	**133**	**69**	
	5.01	Library Fee	25	13	
	5.02	Library Card	8	6	
	5.03	Library Open shelf	20	10	
	5.04	Reading Room	20	10	
	5.05	College Magazine	40	20	
	5.06	Book Bank	20	10	
6		**Student Activities**	**92**	**61**	
	6.01	Cultural Activity	40	20	
	6.02	Planning Forum	2	1	
	6.03	Rangering	10	10	
	6.04	Literary Activity	20	10	
	6.05	Associations Fee	20	20	
	6.06	Eco Club	0	0	
	6.07	Entertainment fee	0	0	
7		**General Purpose Fee**	**390**	**270**	

	7.01	General Purpose fee	60	60	
	7.02	Student Help Fee	0	0	
	7.03	Terminal Test Fee	0	0	
	7.04	Environment Fee	0	0	
	7.05	Medical Check up Fee	0	0	
	7.06	Campus beautification Fee	50	25	
	7.07	Identity Card Fee	20	10	
	7.08	Postage	0	0	
	7.09	Internal Assessment	10	10	
	7.1	Misc.	185	185	
	7.11	Subject Council	20	10	
	7.12	Computer Wi-Fi	0	0	
	7.13	College Development	110	55	
	7.14	Furniture Repairs	100	50	
8		**Games Fee**	**100**	**50**	
	8.01	College Games Fee	100	50	
	8.02				
9		**Student Union**	**200**	**100**	
	9.01	Student Union Fee	200	100	
	9.02	Student Union Council Fee	0	0	
	9.03	Student Union Activity Fee	0	0	
10		**Girls Association Fee**	**10**	**10**	**All Girls**
	11.01	Girls Association Fee	0	0	
	11.02	Women Cell	10	10	
11		**Any Other Local Fee**	**215**	**160**	
	12.01	Computer opretion	85	85	
	12.01	Cleaning	100	50	
	12.03	Water Hut	40	40	
	12.04	Garden Dev.	30	15	
F. Other Fee					
12	13.01	Insurance Fee	**00**	**00**	All students

विशेष :

1. सत्र् पर्यन्त किसी भी कार्य हेतु अतिरिक्त चरित्र प्रमाण–पत्र मांगने पर 10.00 शुल्क जमा कराना होगा।

2. स्नातक पार्ट–द्वितीय की छात्राओं से एलीमेन्ट्री कम्प्यूटर शुल्क 440.00 नियमानुसार सभी वर्गों से समान लिया जायेगा।

3. प्रयोगशाला में प्रयोग के दौरान उपकरण टूटने/खराब होने पर उसकी कीमत सम्बन्धित विद्यार्थी से वसूल की जाएगी।

4. **डिग्री/टी.सी.हेतु विकास समिति शुल्क 200 रूपये।**

5. लेखा शाखा में सामान्य दिनों में नगद (केश) का लेनदेन प्रातः 10.30 से अपराह्न 1.30 बजे तक ही होगा।

शुल्क का समेकित चार्ट

FEE CHART (IN RS.)

कक्षा	सामान्य वर्ग	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग	ओ.बी.सी./एस.बी.सी.
प्रथम वर्ष	**1750**	**1090**	**1090**
द्वितीय वर्ष	**2180**	**1520**	**1520**
तृतीय वर्ष	**1740**	**1080**	**1080**
एम.ए.पूर्वार्द्ध	**2050**	**1390**	**1390**
एम.ए. उत्तरार्द्ध	**2040**	**1380**	**1380**

1. अन्य सूचनाएँ :

1. छात्राएँ फीस जमा कराने की रसीद दिखाकर परिचय पत्र प्राप्त कर लें।
2. परिचय–पत्र को पूर्ण भरकर, संकाय सदस्य के हस्ताक्षर के पश्चात् प्राचार्य के हस्ताक्षर कराना आवश्यक है।
3. परिचय–पत्र पर स्वयं छात्रा का फोटो मय हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
4. परिचय–पत्र खो जाने की स्थिति में नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित करवाने के पश्चात् कार्यालय में 50 रू. (पचास रूपये मात्र) जमा कराने पर ही नया परिचय–पत्र प्राप्त किया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय में छात्रा से परिचय–पत्र मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2. गणवेश (यूनिफार्म)

1. कलर सी–ग्रीन सलवार, कुर्ता (गोल गला, ए–लाईन)
2. सफेद दुपट्टा (सूती या मिक्स)
3. नेवी ब्लेक स्वेटर (कार्डिगन)
4. जूते (काले रंग के)

नोट : गुरूवार के अलावा अन्य सभी कार्य दिवसों पर छात्राओं को गणवेश (यूनिफार्म) में आना अनिवार्य है, इसे गम्भीरता से लें।

3. यात्रा रियायत सुविधा

रेल/बस यात्रा सुविधाएँ निम्नलिखित रूप में मिल सकती है :

1. रेल/बस यात्रा रियायत, केवल महाविद्यालय की नियमित छात्राओं को ही दी जाती है।
2. रेल बस यात्रा रियायत, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन एवं दशहरा अवकाश में स्थायी निवास तक जाने और लौटने के लिए ही मिलेगी। अतः छात्राएं स्थायी निवास का सही पता अपने फार्म में अंकित करें।
3. रेल/बस रियायत फार्म (प्रपत्र) निर्धारित शुल्क देकर उन्ही के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

4. पुस्तकालय :

इस पुस्तकालय में सभी विषयों के महत्वपूर्ण ग्रन्थ, संदर्भ सामग्री आदि उपलब्ध है। वाचनालय में विभिन्न विषयों एवं सामान्य ज्ञान की लगभग 25 पत्रिकाएं, पांच समाचार पत्र, दो रोजगार समाचार पत्र आते हैं। कॅरियर गाइडेन्स सम्बन्धी पुस्तकें भी उपलब्ध है। पुस्तकालय एवं वाचनालय सुविधा प्रति कार्य दिवस प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक या महाविद्यालय के समयानुसार रहती है।

5. बुक बैंक :

अनुसूचित जाति की ऐसी छात्राएँ जिनके माता–पिता आयकर दाता नहीं हैं, की सहायतार्थ महाविद्यालय में एक बुक बैंक सत्र् 2004–2005 से प्रारम्भ किया गया है। जिसमें पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं। ऐसी प्रत्येक छात्रा सत्र प्रारम्भ होते ही पुस्तकालय से निःशुल्क फार्म प्राप्त कर, भरकर निर्धारित दिनांक तक जमा करा, पुस्तकें प्राप्त कर सकती हैं।

प्राचार्य द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर उपलब्ध पुस्तकों में से अनुपातिक रूप से वर्ष भर के लिए अध्ययन हेतु दी जाती है। ये पुस्तकें परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व पुनः जमा करानी होती है।

महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं, पूर्व छात्राओं एवं प्राध्यापगण से निवेदन है कि अपनी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तकें इस बुक बैंक हेतु दान करें ताकि अधिकाधिक छात्राएं लाभान्वित हो सके।

महाविद्यालय में अनु.जाति, जनजाति, ओ.बी.सी.एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं के लिए भी बुक बैंक की व्यवस्था हैं।

पुस्तकालय के नियम :

1. पुस्तकालय खुलने का समय प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक रहेगा। पुस्तकों का लेन–देन दोपहर 3.00 बजे तक रहेगा।
2. पुस्तकालय में प्रवेश करते समय यदि छात्रा के पास निजी पुस्तकें, पर्स आदि हों तो पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर टोकन गर्ल को सौंप कर टोकन प्राप्त करें। पुस्तकालय में नोट्स बनाने के लिये कॉपी ले जाई जा सकती है।
3. महाविद्यालय की नियमित छात्राओं को पुस्तकालय में प्रवेश की अनुमति अपना परिचय पत्र दिखाने पर ही मिल सकेगी।
4. यदि किसी अलमारी से आपने कोई पुस्तक पढ़ने के लिए निकाली तो, उसे आवश्यक उपयोग के बाद समीपस्थ टेबल पर ही छोड़ दीजिये।
5. महाविद्यालय में छात्राओं का शुल्क जमा हो जाने पर पुस्तकालय से उनकों 2 रीडर्स कार्ड इश्यू होंगे।
6. प्रत्येक रीडर्स कार्ड पर घर ले जाने के लिए एक पुस्तक 14 दिनों के लिए जारी की जाती है। लौटाई गई पुस्तक उसी दिन पुनः निर्गमित नहीं की जायेगी।
7. पुस्तकालय कार्ड एक सत्र के लिए दिये जाते हैं, ये अहस्तांतरणीय है। इनके खो जाने या नष्ट हो जाने पर दूसरा कार्ड एक माह पश्चात् 5 रू.प्रति कार्ड जमा करवाने पर ही प्राप्त हो सकेगा। किसी छात्रा के कार्ड पर दी गई पुस्तक का उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्रा पर ही होगा अतः इन कार्डों को पूरी सावधानी से सुरक्षित रखना चाहिए। सत्र की समाप्ति पर इन्हें पुस्तकालय में जमा करवाना आवश्यक है।
8. निश्चित अवधि के पश्चात् लौटाई गई पुस्तक पर 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।
9. छात्राओं द्वारा पुस्तक का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। तेल आदि से खराब की गई/चिन्हांकित की गई/कटी–फटी या खो गई पुस्तक का दुगना मूल्य वसूल किया जायेगा। इसलिए पुस्तक लेते समय छात्रा स्वयं देख ले कि, पुस्तक किसी रूप में क्षतिग्रस्त तो नहीं है।
10. अन्य किसी छात्रा के कार्ड पर पुस्तक लेने का प्रयत्न करना दण्डनीय अपराध है।
11. प्रत्येक छात्रा को सामान्य के अतिरिक्त अपने विषयों से सम्बन्धित पुस्तकें ही दी जायेगी।
12. संदर्भ–ग्रंथों, शब्दकोषों, कला सम्बन्धी पुस्तकों, मानचित्रावलियों, पत्र–पत्रिकाओं, परीक्षा प्रश्न पत्रों एवं नियमावलियों आदि का प्रयोग केवल पुस्तकालय भवन में किया जा सकता है।
13. पुस्तकालय में आप पूर्ण शान्ति बनाए रखें तथा ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे दूसरों का ध्यान भंग हो। यदि कोई छात्रा नियमों के विरूद्ध आचरण करती पाई गई तो पुस्तकालयाध्यक्ष उसे पुस्तकालय से बाहर जाने का आदेश दे सकते हैं एवं छात्रा पुस्तकालय सम्बन्धी प्राप्त सभी सुविधाओं से वंचित की जा सकती है।
14. पुस्तकालय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रा पुस्तकालयाध्यक्ष से सम्पर्क कर सकती है।
15. किसी भी कारण से महाविद्यालय छोड़ने पर छात्राओं को पुस्तकालय की पुस्तकें तथा कार्ड जमा करवाकर अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए अन्यथा पुस्तकों का दुगना मूल्य एवं नियमानुसार विलम्ब शुल्क जमा कराना होगा।
16. कला संकाय की छात्राओं को बुधवार, गुरूवार, विज्ञान की छात्राओं को शुक्रवार एवं शनिवार को एवं वाणिज्य संकाय की छात्राओं को सोमवार व मंगलवार को पुस्तकें, प्रश्न पत्र एवं पाठ्यक्रम आदि निर्गमित हो सकेंगे किन्तु सभी संकाय की छात्राएं पुस्तकें किसी भी कार्य दिवस पर जमा करा सकेंगी।

सहशैक्षणिक गतिविधियाँ

1. छात्रसंघ

महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही राज्य सरकार के आदेशानुसार छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। छात्रसंघ का प्रमुख उद्देश्य छात्राओं को प्रजातांत्रिक पद्धति का प्रशिक्षण देना है। इसके अतिरिक्त छात्राओं में नेतृत्व, सेवा भावना, अनुशासन, बौद्धिक एवं मानसिक विकास के लिए अवसर प्रदान करना है।

2. शैक्षणिक परिषदें

क) कला परिषद् : यह कला संकाय की छात्राओं की परिषद् है, जिसमें विस्तार भाषण एवं विभिन्न प्रतियोगिताएं, परामर्शदाता (प्राध्यापक) के सहयोग से आयोजित की जाती है।

ख) वाणिज्य परिषद् : वाणिज्य संकाय की छात्राएं इसकी सदस्य होती है। इसमें विद्वानों के भाषण, वाद–विवाद एवं अन्य बौद्धिक विकास की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इनमें परामर्शदाता (प्राध्यापक) का सहयोग छात्राओं को मिलता है।

ग) विज्ञान परिषद् : विज्ञान संकाय की छात्राएं इसकी सदस्य होती है। परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियाँ – सेमिनार, विद्वानों के भाषण व बौद्धिक प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती है।

घ) साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद् : सत्र पर्यन्त साहित्यिक गतिविधियों में आशुभाषण, वाद–विवाद, पत्र–वाचन, नाटक, काव्य–पाठ तथा सांस्कृतिक में एकल व समूह गान, एकल, युगल व समूह नृत्य, एकाभिनय आदि अनेक प्रतियोगिताएँ अर्न्तकक्षा व अर्न्तसंकाय स्तर पर आयोजित की जाती है। निदेशालय से आदेशित होने पर जिला, संभाग एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। विजेता छात्राओं को इन प्रतिस्पर्द्धाओं में महाविद्यालय भेजने की व्यवस्था भी करता है।

3. पूर्व छात्राओं का संगठन (एल्यूमिनी एसोसिएशन)

महाविद्यालय की पूर्व छात्राओं को महाविद्यालय के विकास कार्यों से जोड़ने और उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए इस एसोसिएशन का गठन किया गया है। इस एसोसिऐशन द्वारा पूर्व छात्राओं को आपसी मेल मिलाप बढ़ाने तथा अपने मित्रों की जानकारी रखने में सहायता प्राप्त होती है। इस एसोसिएशन से माहविद्यालय की छात्राओं को भी भूतपूर्व छात्राओं से प्रेरणा मिलती है।

4. खेलकूद

कन्या महाविद्यालय में बास्केट बॉल मैदान का निर्माण शहरी जन सहभागिता से किया गया है। प्रमुख खेलों के लिए खेल सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएँ भी खेल प्रभारी के मार्गदर्शन में आयोजित की जाती है। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न अर्न्तमहाविद्यालय प्रतियोगिताओं हेतु छात्राओं को विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लेने हेतु भिजवाया जाता है।

5. महाविद्यालय पत्रिका

क) छात्राओं के भीतर छिपी रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रतिभा को उभारने हेतु महाविद्यालय में वार्षिक पत्रिका 'सृजन' का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका 'सृजन' के लिए छात्राएं अपनी रचनाएं (लेख, कहानियां, कविताएँ आदि) हिन्दी, अंग्रेजी या संस्कृत भाषा से सम्बन्धित विषय के प्राध्यापक को दे सकती है।

ख) दीवार पत्रिका : दीवार पत्रिका का प्रकाशन भी समय–समय पर किया जाता है। 'दीवार पत्रिका' के अन्तर्गत लघुकथाएँ, समय–समय पर आये सामाजिक घटनाक्रमों, महापुरूषों के प्रेरणा प्रसंगों, महत्वपूर्ण दिवसों सम्बन्धी लेख लगाकर छात्राओं का ज्ञानवर्धन किया जाता है।

6. राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रत्येक सदस्य को एक वर्ष न्यूनतम 120 घंटों के लिए सेवा का कार्य करना होता है। एक वर्ष में तीन एक दिवसीय शिविर तथा एक सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है। दो वर्ष में (240 घंटे) पूर्ण करने वाली स्वयं सेविकाओं को तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। सभी गतिविधियाँ कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में सम्पन्न करायी जायेंगी।

7. योजना मंच

योजना मंच के माध्यम से छात्राओं को भारत वर्ष की पंचवर्षीय योजनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विभिन्न प्रतियोगिताओं, आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण, प्रसार भाषण तथा सेमिनार आदि का आयोजन किया जाता है। महाविद्यालय की सभी छात्राएं इसकी सदस्य होती हैं। प्रतियोगिता में विजेता छात्राओं को पुरस्कार व प्रमाण–पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाता है।

8. महिला प्रकोष्ठ

छात्राओं के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के साथ–साथ उनमें महिला–जागृति तथा उनकी सामाजिक भागीदारी की भावना और प्रवृत्ति विकसित करने के आशय से महिला प्रकोष्ठ का संचालन किया जाता है। इसमें छात्राओं की कला चेतना, संस्कृति व परम्परा मूलक अभिरूचियाँ, रंगोली, पाक कला व सौंदर्य बोध की प्रतियोगिताएं शामिल है।

9. महिला उत्पीड़न

कामकाजी महिलाओं के प्रति अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने एवं प्रतीकार करने हेतु इस समिति का गठन किया गया है। महिलाओं में चेतना व जागृति उत्पन्न करने हेतु जिले की प्रमुख समाजसेवी संस्थाओं, प्रबुद्ध एवं विशिष्ट वर्ग तथा पुलिस एवं न्यायालय की महिलाओं के समन्वय से इस समिति का गठन किया है।

10. जलघर

महाविद्यालय में स्वच्छ एवं शुद्ध शीतल पेयजल व्यवस्था है। जल शुद्धि के लिये यूजीसी की सहायता से 'एक्वागार्ड' लगाया गया है तथा वाटर कूलर की भी व्यवस्था है। इसकी लगातार व्यवस्था हेतु जलधर में पानी पिलाने वाली महिला उपस्थित रहती है।

11. जलपान गृह

महाविद्यालय में सामान्य सुविधाओं युक्त एक जलपान गृह है। जहाँ महाविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों पर खाद्य सामग्री होती है। यह प्रदत्त सुविधाओं का ही एक भाग है। इसलिए छात्राओं से यहाँ पर शालीनता एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।

12. वाहन स्टेण्ड

वाहन स्टेण्ड पर छात्राओं के वाहन खड़े किये जाने की सुविधा है। छात्राएँ वाहन स्टेण्ड पर ही खड़े कर व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग प्रदान करें।

13. युवा विकास केन्द्र

राज्य सरकार की नीति के अन्तर्गत युवाओं को रोजगार हेतु सक्षम बनाने एवं कॅरियर काउन्सलिंग के लिए इस केन्द्र की सत्र 2009–10 में स्थापना कर संचालन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत विभिन्न आयामों एवं विषयों से जुड़े विद्वानों के मार्गदर्शन तथा भाषणों के माध्यम से छात्राओं को अपने व्यक्तित्व विकास तथा रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु लाभान्वित किया जाता है।

14. छात्रावास

महाविद्यालय में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है।

1. राजकीय कन्या महाविद्यालय छात्रावास चित्तौड़गढ़ जिसमें सभी वर्गों की नियमित छात्राऐं आवेदन कर सकती है।
2. छात्रावास में अधिकत्तम 48 छात्राओ का ही प्रवेश हो सकेगा। प्रत्येक कमरे में 3 छात्रा रहेगी।
3. छात्रावास के नियम छात्राओं पर समान रूप से लागू होंगे।
4. छात्रावास में प्रवेश पाने के लिये निर्धारित आवेदन–पत्र भरकर देना होगा। छात्रावास में प्रवेश पाने के लिए छात्राएँ वार्डन से सम्पर्क करें। छात्रावास में प्रवेश योग्याता, निवास स्थल से दूरी तथा प्रायोगिक विषयों को ध्यान में रखते हुए दिया जायेगा। सरकार की नीति के अनुसार सामान्य छात्रावास में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग छात्राओं के क्रमशः 16, 12, 21 एवं 3 प्रतिशत स्थानों पर आरक्षण रहेगा।

छात्रावास के नियम

1. छात्रावास में केवल नियमित छात्राओं को ही प्रवेश दिया जायेगा।
2. छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवेदन–पत्र प्रेषित किया जाना चाहिए।
3. आवेदन–पत्र माता–पिता या संरक्षक के द्वारा भेजा जाना चाहिए। प्रवेश–पत्र पर छात्रा अपना नवीनतम फोटो लगाए।
4. नई छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश **पिछले वर्ष की परीक्षा के अंकों की वरीयता सूची के आधार पर दिया जायेगा।** अतः आवेदन–पत्र के साथ अंक तालिका की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।
5. विद्यार्थियों को छात्रावास में प्रवेश आवश्यक रूप से अकादमिक वरीयता क्रम में दिया जायेगा।
6. छात्रावास में प्रवेश के समय माता–पिता या संरक्षक को स्थानीय संरक्षक का नाम व अभ्यागतों की सूची मय हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट आकार की फोटो के आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करनी होगी तथा स्थानीय संरक्षक के हस्ताक्षर पिता द्वारा सत्यापित होने चाहिये। इसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति को छात्रा से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। स्थानीय संरक्षक को भी छात्रावास वार्डन से मिलवा देवें।
7. छात्रावास में प्रवेश प्राप्ति के पश्चात् छात्रा को अपने स्थानीय संरक्षक एवं अभ्यागत (केवल दो व्यक्ति) के छाया चित्र वार्डन को प्रस्तुत करने होंगें। छात्राओं को इनके अतिरिक्त अन्य किसी से मिलने की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थिति में वार्डन से सम्पर्क किया जा सकता है।
8. छात्रा छात्रावास की वार्डन की आज्ञा के बिना छात्रावास से बाहर नहीं जा सकेगी तथा छात्रावास/महाविद्यालय परिसर में अतिथियों को आमंत्रित नहीं कर सकेगी। स्थानीय संरक्षक अपने साथ अपने परिचित या मित्रों को नहीं लायेंगे। संध्या प्रार्थना के पश्चात् मैट्रेन/वार्डन द्वारा उपस्थिति ली जायेगी।
9. छात्रा स्थानीय संरक्षक के यहां निवास करना चाहती है तो उसे अपने माता–पिता या संरक्षक का प्रार्थना–पत्र मय हस्ताक्षर छात्रावास वार्डन को प्रस्तुत कर **"रात्रि विश्राम अनुमति–पत्र"** प्राप्त करना होगा।
10. स्थानीय संरक्षक के यहां ठहरने पर वापसी के समय संरक्षक का यह प्रमाण–पत्र साथ लाना आवश्यक होगा जिसमें छात्रा के पहुंचने एवं लौटने का समय एवं दिनांक अंकित हों।
11. छात्राएँ रविवार या चयनित छुट्टियों के दिन प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक के लिए वार्डन की आज्ञा प्राप्त कर स्थानीय संरक्षक के घर जा सकती हैं।
12. छात्राएँ वार्डन की आज्ञा प्राप्त कर अपरान्ह 3.00 बजे से 6.00 बजे के बीच बाजार जा सकती है।

13. छात्रावास के बाहर जाने पर या आने पर चौकीदार के पास रखे रजिस्टर में छात्राएँ सभी सूचनाएं अंकित कर अपने हस्ताक्षर करें। बाहर जाने के लिए अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
14. छात्रा कमरे के फर्नीचर की देखभाल के लिये स्वयं उत्तरदायी होगी। हानि पर आर्थिक दण्ड भी दिया जा सकता है।
15. छात्राएँ अनावश्यक रूप से कमरों की बिजली जलती हुई नहीं छोड़ें। टेबल लेम्प, प्रेस और इलेक्ट्रिक रॉड के अतिरिक्त अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग वर्जित है।
16. छात्रावास में आने वाले सभी पत्रों को चैक करने का अधिकार वार्डन को होगा।
17. छात्राएँ कोई भी मूल्यवान वस्तु तथा गहने अपने पास नहीं रखें। कोई भी वस्तु खो जाने पर वार्डन की जिम्मेदारी नहीं होगी।
18. छात्राओं से यह अपेक्षा की जाती है कि रात के भोजन के पश्चात अपने–अपने कमरों में जाकर पढ़ाई करें।
19. छात्रावास के कमरों का किसी भी समय वार्डन/मैट्रेन को निरीक्षण करने का अधिकार होगा। छात्रावास में किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ/हथियार रखना या उपयोग करना वर्जित हे।
20. छात्राओं का नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहना अनिवार्य है। यदि छात्रा कक्षा में अनुपस्थित रही तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
21. महाविद्यालय में आयोजित प्रत्येक कार्यक्रम में छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है।
22. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को परीक्षा में उपस्थित रहना आवश्यक होगा, यदि परीक्षा में उपस्थित नहीं होती है तो अगले सत्र में उसे प्रवेश नहीं मिलेगा।
23. पूरक परीक्षा का परिणाम निकलते ही इसकी सूचना छात्रावास वार्डन को देनी होगी। महाविद्यालय में दशहरा, शीतकालीन एवं ग्रीष्मावकाश होने पर या किसी अन्य कारण से महाविद्यालय बन्द किये जाने पर छात्रावास भी बन्द रहेगा। ऐसे अवकाश में किसी भी छात्रा को छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
24. प्रत्येक छात्रा के लिए मैस की सदस्यता एवं मैस सम्बन्धी नियमों का पालन करना आवश्यक है।
25. छात्रावास में छात्रा की उपस्थिति के दिन से ही मैस में भोजन का भुगतान देय होगा।
26. मैस के भुगतान में कटौती तभी मिलेगी जब छात्रा उसी माह में 10 दिन लगातार छात्रावास में नहीं रहेगी। इसकी सूचना पहले ही दी जानी चाहिए।
27. छात्रावास में प्रवेश के पश्चात् यदि छात्रा सत्र पर्यन्त कभी–भी पूरे माह छात्रावास में निवास नहीं करती है तो भी उसे मैस का आधा शुल्क जमा कराना होगा। इस सम्बन्ध में छूट हेतु वार्डन का निर्णय मान्य होगा।
28. छात्रा को भोजन शुल्क महीने की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से देना होगा। अन्यथा 50 रू. प्रतिमाह जुर्माना देना होगा।
29. छात्रावास के कर्मचारियों तथा मैस के लोगों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें।
30. किसी भी कठिनाई के लिए वार्डन/मैट्रेन से सम्पर्क करें।

31. छात्राएँ छात्रावास के नियमों का पूर्णतया पालन करेंगी तथा छात्रावास में पूर्ण अनुशासन बनाये रखेगी। ऐसा नहीं करने पर उनको छात्रावास से निकाला भी जा सकता है।
32. छात्रावास में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को रेजरिंग अथवा राष्ट्रीय सेवा योजना में भाग लेना अनिवार्य है।
33. छात्रावास में स्थानीय अभिभावकों के मिलने का समय सायं 4.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक रहेगा।
34. जिस विद्यार्थी के विरूद्ध किसी अपराधिक मामले में पुलिस द्वारा चालान पेश किया हुआ हो, प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
35. चालू सत्र या पूर्व सत्रों में **रेगिंग के प्रकरणों में लिप्त पाये गये विद्यार्थी जिन्हें संस्था प्रशासन द्वारा दण्डित किया गया हो,** उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
36. कमरे की स्वच्छता की जिम्मेदारी छात्रा की स्वयं की होगी।
37. प्रत्येक विद्यार्थी जिसे प्रवेश दिया जावे उससे तथा उसके अभिभावक से प्रवेश के समय लिखित बन्धपत्र (Under-Taking) ले ली जावे कि विद्यार्थी अपने वर्तमान सत्र की अन्तिम परीक्षा समाप्त होने के तीन दिन के भीतर छात्रावास खाली कर देगी और लिखित रिपोर्ट वार्डन को प्रस्तुत करेगी अन्यथा संस्था को छात्रावास खाली कराने का अधिकार होगा।
38. छात्रावास भवन की दीवारो पर किसी प्रकार का लेख वर्जित है। आवास के कमरों में चित्र लगाना, अक्षर लिखना व कीलियां आदि लगाना वर्जित।
39. छात्रा की बीमारी की अवस्था में तत्काल वार्डन से सम्पर्क करना आवश्यक है।
40. छात्रा यदि बिना अनुमति के छात्रावास छोड़कर चली जाती है तो समस्त जिम्मेदारी छात्रा एवं अभिभावक की होगी, छात्रा यदि पुनः छात्रावास में प्रवेश पाना चाहेगी तो प्रवेश देना या न देना यह संस्था प्रशासन के निर्णय पर निर्भर करेगा।
41. छात्रा को छात्रावास में अपने साथ 2 बेडशीट, ओढ़ने का चादर, सर्दियों में कबल, रजाई इत्यादि दैनिक व आवश्यक उपयोगी वस्तुएं स्वयं लानी होगी।
42. यदि आपको किसी प्रकार का स्थायी रोग है तो वार्डन को इसकी लिखित में जानकारी देवें।
43. कम से कम 36 छात्राओं का प्रवेश होने पर ही मैस की व्यवस्था स्ववित्तपोषित आधार पर हो सकेगी।
44. छात्रावास में कोई भी छात्रा भोजन नहीं बना सकेगी। मैस की व्यवस्था नहीं होने पर छात्रा को स्वयं टिफिन की व्यवस्था करनी होगी।
45. छात्रावास में रात्रि 8.00 बजे बाद कोई भी छात्रा म्यूजिक नहीं चला सकेगी।

46. छात्रावास के उपरोक्त सभी नियमों की पालना का शपथ–पत्र छात्रा को प्रस्तुत करना होगा। यदि उपरोक्त किसी भी नियमों का उलंघन करती है तो छात्रावास से निष्काषित किया जा सकेगा।
47. छात्रावास में कोई भी पुरूष सदस्य छात्रा के कमरे में नहीं जा सकता।
48. छात्रावास में छात्रा के कमरे में परिवार की कोई भी महिला सदस्य 2 दिन से अधिक नहीं ठहर सकेगी।

49. छात्रावास नियम व शुल्क में वर्ष के दौरान परिवर्तन का अधिकार महाविद्यालय प्रशासन को होगा।

50. छात्रावास के शुल्क

1.	प्रवेश फार्म	:	निःशुल्क
2.	कॉमन रूम	:	50.00 रू.प्रति वर्ष
3.	बर्तन	:	50.00 रू.प्रति वर्ष
4.	छात्रावास विकास	:	150.00 रू.प्रति वर्ष
5.	टूट–फूट	:	50.00 रू.प्रति वर्ष
6.	बिजली व पानी	:	100.00 रू.प्रति छात्रा प्रति माह
7.	कमरा किराया (ट्रिपल सीटेड)	:	50.00 रू.प्रति छात्रा प्रति माह
8.	न्यूज पेपर व मेग्जीन	:	20.00 रू.प्रति छात्रा प्रति माह

नोट : 1. मैस की व्यवस्था छात्राएँ स्वयं करेगी।

2. बिजली और पानी के निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त पानी और बिजली के प्राप्त बिल के अनुपात में बढ़ी हुई राशि का भुगतान छात्राओं द्वारा देय होगा।

छात्रावास

राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय,चित्तौड़गढ़

प्रवेश आवेदन – पत्र

नामांकन प्रपत्र –202............ – 202...........

1. नाम : ....
2. पिता का नाम : ....
3. माता का नाम : ....
4. जन्म तिथि एवं वर्तमान उम्र : ....
5. कक्षा व संकाय : ....
6. स्थायी पता : ....

   ....

   टेलीफोन / मो.नं. (पिता / माता) : ....
7. स्थानीय संरक्षक का नाम : ....

   पता एवं मो.नं. : ....
8. अनु.जाति / जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग / सामान्य वर्ग / विकलांग

   (संबन्धि पर √ करें)
9. स्वयं का रक्त ग्रुप : ....
10. किसी प्रकार की स्थायी बीमारी यदि हो, तो उल्लेख करें : ....

हस्ताक्षर अभिभावक **हस्ताक्षर प्रार्थी मय दिनांक**

शपथ – पत्र

मैं .... शपथपूर्वक यह घोषणा करती हूँ कि मैंने छात्रावास संबंधी सभी नियम पढ़ लिए हैं और उन समीका अक्षरशः पालन करूँगी तथा अंतिम परीक्षा समाप्त होने के तीन दिन में छात्रावास खाली कर दूंगी।

हस्ताक्षर स्थानीय सरंक्षक हस्ताक्षर वार्डन मय दिनांक हस्ताक्षर प्रार्थी मय दिनांक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्राप्त छात्रवृत्तियाँ

अ) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति – अनु.जाति और अनु.जनजाति

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति नहीं लेगा। **यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्रदान किया गया है तो छात्र दोनों छात्रवृत्ति/वजीफा मे से किसी एक को, जो भी उसके लिये अधिक लाभप्रद हो अपना विकल्प दे सकता है** और दिये गये विकल्प के बारे में उसे संस्था के प्रधान के माध्यम से प्रदानकर्ता प्राधिकारी को सूचना देनी चाहिये। छात्र–छात्रा को उस तारीख से जिससे वह दूसरी छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति स्वीकार करता/करती है, इस योजना के अधीन किसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।

1. पात्रता

क) केवल वे ही छात्र, जो राजस्थान के अनु.जाति/अनु.जनजाति से सम्बन्धित हो।
ख) शिक्षा का एक चरण उत्त्तीर्ण करने के पश्चात् शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय/संकाय में अध्ययन करने लगे, जैसे बी.ए. के बाद बी. कॉम. करने लगे, या एम. ए. करने के बाद किसी अन्य विषय में एम.ए. करने लगे वे इसके पात्र नहीं होंगे।
ग) नियोजित छात्र जिन्होंने पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि की अवैतनिक छुट्टी ली हो तथा जो पूर्णकालिक छात्र के रूप में अध्ययनरत रहे हों, छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे।
घ) एक ही माता–पिता/अभिभावक के सभी बच्चे छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे।
ड़) कोई अन्य छात्रवृत्ति नहीं दी जाती हो।
च) अंशकालिक पाठ्क्रमों के लिए देय नहीं है।

2. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

समूह का नाम	आय सीमा	अनुरक्षण भत्ता दर					
		प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष	
		डेस्कालर	छात्रावास	डेस्कालर	छात्रावास	डेस्कालर	छात्रावास
अनुसूचित जाति	2 लाख	300	570	300	570	300	570
अनुसूचित जनजाति	2 लाख	300	570	300	570	300	570
अन्य पिछड़ा वर्ग	2 लाख	210	400	210	400	210	400
देवनारायण योजना (विशेष पिछड़ा वर्ग)	2 लाख	300	570	300	570	300	570

नोट :

आय प्रमाण–पत्र (I,J,K,) केवल एक बार लिये जाने की आवश्यकता है अर्थात् एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय।

3. फीस

छात्रा द्वारा संस्था/विश्वविद्यालय को दी जाने वाली फीस का भुगतान किया जायेगा, किन्तु कॉशनमनी सम्मिलित नहीं होगी।

4. नवीनीकरण

छात्रवृत्ति अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक दी जायेगी। इसके लिए अच्छा आचरण व उपस्थिति में नियमितता आवश्यक है।

5. भुगतान

छात्रा का चयन जाँच के आधार पर किया जायेगा। इसके बाद प्राचार्य द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किए जायेंगे। छात्रवृत्ति का भुगतान अप्रैल या नामांकन के माह से (20 तारीख बाद करने पर अगले माह से) अजा/अजजा की छात्राओं को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति माता–पिता/अभिभावक की आय की घोषणा (I,J,K,में) करनी अनिवार्य है।

नोट : विद्यार्थी का आचरण असंतोषजनक होने पर, झूठी घोषणा पर अथवा गलत भुगतान किए जाने पर प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है।

6. आवेदन

छात्रवृत्ति के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वैबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। छात्रवृत्ति आवेदित फार्म की हार्ड कॉपी के साथ आवश्यक प्रपत्रों के साथ महाविद्यालय में जमा कराना होगा। जिसमें निम्न सूचना आवश्यक है –

क) पासपोर्ट साईज फोटो।

ख) उत्तीर्ण परीक्षार्थी की अंकतालिका/दसवीं अंकतालिका/प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतियाँ।

ग) जातीय प्रमाण पत्र (तहसीलदार स्तर से नीचे न हो)

घ) आय घोषणा पत्र (I,J,K,)

7. अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

क) दृष्टिहीन छात्रों के लिए पाठ्य भत्ता

पाठ्यक्रम का स्तर	पाठ्य भत्ता (रूपये प्रतिमाह)
समूह – क, ख, ग	150
समूह – घ	125
समूह – ड़	100

ख) विकलांग छात्रों के लिए प्रतिमाह 100/– रूपये परिवहन भत्ते का प्रावधान यदि वह छात्र संस्था के परिसर में स्थित होस्टल में नहीं रहता हो।

ग) विकलांगों के लिए छात्रवृत्ति : अंधे, बहरे अथवा शारीरिक विकलांग (ऑर्थोपिडकली हेण्डीकेप्ट) छात्रों को विकलांक छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है।

ब) अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

निदेशक सामाजिक न्याय एवं प्राधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का प्रावधान है।

भारत सरकार एवं निदेशक सामाजिक न्याय एवं प्राधिकारिता विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार छात्रवृत्ति का भुगतान किया जावेगा।

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्य
डॉ.ममता शर्मा
(सह आचार्य वनस्पति शास्त्र)

संकाय सदस्य

कला संकाय

हिन्दी	–	1. डॉ. सी.एल.महावर	2. प्रो. वर्षा सिखवाल
इतिहास	–	1. सुश्री शंकर बाई मीणा	2. रिक्त
गृह–विज्ञान	–	1. डॉ.जसप्रीत कौर	2. रिक्त
संस्कृत	–	1. श्री श्याम सुन्दर पारीक	
राजनीति विज्ञान	–	1. श्रीमती रेखा मेहता	
दर्शन शास्त्र	–	1. डॉ.उदय सिंह	

वाणिज्य संकाय

लेखा एवं व्या.सांख्यिकी	–	डॉ. ज्योति कुमारी
व्यावसायिक प्रशासन	–	रिक्त
आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध	–	रिक्त

विज्ञान संकाय

रसायन शास्त्र	–	सुश्री रिंकी गुप्ता
वनस्पति शास्त्र	–	डॉ.ममता शर्मा
प्राणि शास्त्र	–	डॉ.अन्जू चौहान
गणित	–	डॉ.लोकेश जसोरिया
भौतिक शास्त्र	–	सुश्री जयश्री कुदाल

लेखा एवं मंत्रालयिक कर्मचारी

कार्यालय अधीक्षक	–	रिक्त
लेखाकर	–	रिक्त
सहायक प्रशासनिक अधिकारी	–	श्री प्रभु लाल गुर्जर
वरिष्ठ लिपिक	–	
1. कनिष्ठ लिपिक	–	1) श्री शांतिलाल मेघवाल 2) रिक्त

2. प्रयोगशाला सहायक	–	1) श्री जुल्फकार अली कुरेशी 2) श्रीमती यामिनी निगम
प्रयोगशाला वाहक	–	1) रिक्त 2) रिक्त 3) रिक्त

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. श्रीमती यशोदा नाई
2. श्री जगदीश चन्द्र नाई

क्रीड़ा विभाग	–	रिक्त
पुस्तकालयाध्यक्ष	–	रिक्त

राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय,चित्तौड़गढ़

NAAC Accredited 'B' Grade

राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रवेश आवेदन पत्र –202............ – 202...........

इकाई ....

1. नाम : ....

2. पिता का नाम : ....

3. माता का नाम : ....

4. जन्म तिथि : ....

5. कक्षा व संकाय : ....

6. स्थायी पता : ....

....

टेलीफोन/मो.नं. : ....

7. स्थानीय पता : ....

....

8. स्थानीय संरक्षक का नाम : ....

टेलीफोन/मो.नं. : ....

9. अनु.जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग ....

10. क्या आपने पूर्व में राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों में भाग लिया है ....

11. आपका रक्त ग्रुप क्या है (यदि जाँच कराया हो) ....

12. क्या आवश्यकता पर आप रक्तदान के इच्छुक है ....

हस्ताक्षर प्रार्थी

राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं के लिए आचार संहिता

1. सभी स्वयं सेविकाएं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नामित किए गए समूह के नेता के मार्गदर्शन में कार्य करेंगी।

2. वह स्वयं को समाज के लिए अनुकूल बनाएगी।

3. वे इस बात की अत्याधिक सावधानी रखेगी कि किसी विवादास्पद विषय में न फंसे।

4. वे डायरी के संलग्न पृष्ठों में अपनी दैनिक गतिविधियाँ/अनुभवों का रिकॉर्ड रखेंगी और अधिकाधिक मार्ग दर्शन प्राप्त करने के लिए समूह के नेता/कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगी।

राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय,चित्तौड़गढ़ (राज.)

(छात्रा द्वारा भरा जावे)

1. छात्रा का नाम ....
2. पिता का नाम .... माता का नाम ....
3. पिता / माता की आय .... जाति ....
4. कक्षा एवं संकाय जिसमें प्रवेश लिया ....
5. अंतिम योग्यता परीक्षा जो उत्तीर्ण की ....
6. बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम ....
7. विद्यालय / महाविद्यालय का नाम ....
   जहाँ से योग्यता परीक्षा पास की ....
8. जन्म तिथि (अ) अंकों में ....
   (ब) शब्दों में ....
9. छात्रा का स्थाई पता ....
   फोन / मोबाईल नम्बर ....

शैक्षणिक सूचनाएँ

(महाविद्यालय, कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

महाविद्यालय नामांकन संख्या / 201 / विश्वविद्यालय नामांकन संख्या ....

महाविद्यालय में प्रवेश की रसीद संख्या .... व दिनांक ....

क्र. सं.	सत्र	विषय जो लिया			उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण या पूरक	श्रेणी / विशेष योग्यता / विषय जिसमें अनुत्तीर्ण हुए	महाविद्यालय छोड़ने का दिनांक	चरित्र	अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ
		अनिवार्य	एच्छिक	रोल नम्बर					

विशेष विवरण जो ऊपर नहीं आया हो ....

स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र संख्या .... दिनांक .... दिया गया।

महाविद्यालय रसीद नं. .... दिनांक .... राशि ....

प्राचार्य

रा.स्ना.क.म.चि.

महाविद्यालय प्राचार्य एवं उपप्राचार्य

प्राचार्य

नाम	कार्यकाल
डॉ. एच.पी. तपोदी	05.07.95 से 01.02.96
प्रो. सी.एल. शर्मा	26.02.96 से 07.10.96
प्रो. एस.एन. समदानी	07.10.96 से 01.11.97
प्रो. एम.डी गौड़	06.11.97 से 18.11.97
प्रो. एस.एस. श्रोत्रिय	22.11.97 से 13.04.98
प्रो. लक्ष्मीलाल जैन	13.04.98 से 31.07.98
प्रो. जी.आर. लोढ़ा	01.08.98 से 18.07.2000
प्रो. पी.एस. त्रिपाठी	19.07.2000 से 01.08.2001
डॉ. डी.एल. कोठारी	06.08.2001 से 22.10.2002
प्रो. सी.एम. रांका	23.10.2002 से 09.10.2004
डॉ. श्रीमती माया बंसल	20.10.2004 से 19.08.2006
डॉ. आर.एल. व्यास	02.09.2006 से 26.10.2007
डॉ. रोशनलाल पीतलिया	31.10.2007 से 31.01.2008
डॉ. आर.के. दशोरा	02.02.2008 से 31.08.2009
प्रो. श्रीपाल सुथार	22.10.2009 से 01.10.2010
प्रो. बी.एल. बलाई	09.10.2010 से 31.10.2013
डॉ.आदित्यन्द्र राव	26.02.2014 से 31.10.2014
प्रो.एम.डी.मून्दड़ा	01.11.2014 से 09.02.2015
डॉ.जे.सी.भदादा	09.02.2015 से 31.05.2015
डॉ.रतन लाल जोशी	29.08.2016 से 21.03.2017
डॉ. प्रतिमा शर्मा	23.03.2017 से 31.07.2017
डॉ. राकेश भट्टड़	12.02.2021 से 31.08.2021

उपप्राचार्य

नाम	कार्यकाल
प्रो. श्रीमती कमलेश किन्द्रा	11.11.95 से 05.07.97
प्रो. पी.एस.त्रिपाठी	15.07.97 से 23.03.2000
डॉ. ए.एल. जैन	17.07.2000 से 28.01.2002
डॉ. आर.के खन्ना	08.10.2004 से 21.09.2005
प्रो. श्रीमती राजेश्वरी माथुर	13.10.2005 से 17.11.2005
प्रो. श्रीमती कुसुम पालीवाल	14.12.2005 से 01.07.2006
प्रो. श्रीमती पुष्पलता गाँधी	04.09.2006 से 07.12.2007
प्रो. एस.एल. सुथार	15.03.2008 से 09.03.2010
प्रो. आई.सी. अजमेरा	05.10.2010 से 06.08.2013
डॉ. आर.सी. जैन	11.02.2015 से 29.08.2016
डॉ. जी.एल.मालव	21.10.2016 से 07.07.2018